अपील/ 05/2021

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

बाबूलाल उर्फ कलुआ पुत्र श्री हजारी जाति वैश्य निवासी लूधावाई तहसील वजिला भरतपुर
....अपीलान्टान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 177 दिनांक 25.11.1995 तहसीलदार भरतपुर वसिलसिले ग्रांम लुधावई मृतक लज्जीराम ।

उपस्थितः–

1–श्री राजेशकुमार सोगरवाल, अभिभाषक अपीलान्ट

2–पैरोकार सरकार, अभिभाषक रेस्पो.

आदेश **दिनांक 24.5.2022**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 177 दिनांक 25.11.1995 पेश की गई है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 177 मटोली, किशन, व हजारी तीनों मृतकों की विरासत का खोला जाकर स्वीकार किया गया है उक्त विरासत में किये गये दर्ज नाम में एक नाम बाबूलाल के स्थान पर कलुआ का नाम गलत दर्ज किये जाने को लेकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी । तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाब शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण विरासत का दर्ज किया गया है। जिसमें मृतक हजारी के विरासत में निन्नू सूरज मुरारी, कलुआ, शीला का नाम विरासत में दर्ज किया गया है। उक्त कलुआ का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है, जब सही नाम बाबूलाल है, गांव में बावूलाल को कलुआ के नाम से पुकारते हैं। अन्य गांव की जमाबन्दी में भी मृतक हजारी की विरासत में अन्य के साथ वाबूलाल दर्ज है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि बाबूलाल व कलुआ एक ही व्यक्ति हैं। तहसीलदार ने जबाब में गांव के बोलते नाम से कलुआ दर्ज हो गया है, जब कि कलुआ का नाम ही वाबूलाल है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निरस्त कर कलुआ के स्थान पर बाबूलाल का नाम दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि गांव के बोलते नाम से बाबूलाल के स्थान पर कलुआ नाम दर्ज कर दिया गया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

........2

अपील / 05 / 2021
बाबूलाल उर्फ कलुआ बनाम सरकार

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 177 का अवलोकन किया गया। यह नामान्तकरण विरासत का दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है, जिसमें अन्य मृतकों की विरासत के साथ मृतक हजारी के स्थान पर निन्नू, सूरज, मुरारी, कलुआ, शीला स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट का कहना है कि इसमें कलुआ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि गांव में बाबुलाल को ही कलुआ कहकर पुकारा जाता है, कलुआ के स्थान पर बाबूलाल का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन है। तहसीलदार भरतपुर ने अपने जबाव में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि अपीलांट को ग्रांम में कलुआ के नाम से ही पुकारा जाता है इसलिये भूलवश बाबूलाल के स्थान पर कलुआ दर्ज हुआ है। अस्तु अपील आंशिक रुप से स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं। प्रकरण पुनः मृतक हजारी के वारिसान की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय लिये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 177 दिनांक 25.11.1995 कलुआ के हक तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक मृतक हजारी के वारिसान के पुनः जांच करें तथा कलुआ के स्थान पर बाबूलाल वारिसान की जांच करें तथा पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 24–5–2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर